

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

221/2025

1. रिशालसिंह पुत्र श्री जिले सिंह जाति जाट साकिन झांसल तहसील भादरा।

बनाम

:-वादी

1. जिलेसिंह पुत्र मूलाराम जाति जाट साकिन झांसल तहसील भादरा।
2. प्रेमसुख पुत्र जिलेसिंह जाति जाट साकिन झांसल तहसील भादरा।
3. सविता पुत्री जिलेसिंह जाति जाट साकिन झांसल तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।



:-प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88

राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री धर्मपाल वेरवाल वादी

श्री सतवीर वैनीवाल प्रतिवादी

दिनांक: 20-08-2025

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 5 जेएसएल के खाता संख्या 267/250 के मु० नं० 11 के किला नं. 6/2, 15/1, 16/1, 17/1, 17/3, 23/1, 23/3, 24/1, 25 कुल कित्ता 9 की 0.8710 है० बारानी, 0.0260 है० गै० मु० रास्ता, 0.0500 है नहरी, मु० नं० 12 के किला नं. 1/1, 1/3, 2/3, 2/4, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 9, 10/1, 11 ता 25 कुल कित्ता 30 की 5.9320 है० बारानी, 0.0770 है० गै० मु० रास्ता, मु० नं० 13 के किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 8 ता 13, 18 ता 22 कुल कित्ता 17 की 3.5030 है० बारानी, 0.0390 है० गै० मु० रास्ता, कुल खसरे 56 की 10.4980 है०, जिसमे 10.3060 है० बारानी, 0.1420 है० गै० मु० रास्ता 0.0500 है० नहरी शामिल खाता की खातेदारी कृषि भूमि स्थित है, जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। यही विनाय दावा है, वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति-रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही विनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 3 ने राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं० 4 की ओर से जवाब पेश किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि रोही मोजा चक 5 जेएसएल वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मोजा चक 5 जेएसएल के खाता संख्या 267/250 के मु० नं० 11 के किला नं. 6/2, 15/1, 16/1, 17/1, 17/3, 23/1, 23/3, 24/1, 25 कुल कित्ता 9 की 0.8710 है० बारानी, 0.0260 है० गै० मु० रास्ता, 0.0500 है नहरी, मु० नं० 12 के किला नं. 1/1, 1/3, 2/3, 2/4, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 9, 10/1, 11 ता 25 कुल कित्ता 30 की 5.9320 है० बारानी, 0.0770 है० गै० मु० रास्ता, मु० नं० 13 के किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 8 ता 13, 18 ता 22 कुल कित्ता 17 की 3.5030 है० बारानी, 0.0390 है० गै० मु० रास्ता, कुल खसरे 56 की 10.4980 है०, जिसमे 10.3060 है० बारानी, 0.1420 है० गै० मु० रास्ता 0.0500 है० नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 शेरसिंह के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ-साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं० 1 के वादी व प्रतिवादी सं० 2 ता 3 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। उपरोक्त वाद भूमि में वादी के साथ साथ प्रतिवादी सं 1 ता 3 बहिस्सा बराबर

Calpita
अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला)

रिशालसिंह बनाम जिलेसिंह आदि

खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 3 ने अपना हक व हिस्सा त्याग कर लिया है इस
उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुत्ताविक स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की सोही गोजा
5 जोएसएल के खाता संख्या 267/250 के मु० नं० 11 के किला नं. 6/2, 15/1, 16/1,
17/3, 23/1, 23/3, 24/1, 25 कुल कित्ता 9 की 0.8710 है० बाराणी, 0.0260 है० गै० मु०
0.0500 है नहरी, मु० नं० 12 के किला नं. 1/1, 1/3, 2/3, 2/4, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2,
5/2, 6 ता 9, 10/1, 11 ता 25 कुल कित्ता 30 की 5.9320 है० बाराणी, 0.0770 है० गै० मु०
मु० नं० 13 के किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 8 ता 13, 18 ता 22 कुल
की 3.5030 है० बाराणी, 0.0390 है० गै० मु० रास्ता, कुल खसरे 56 की 10.4980 है०, जिसमे
0.1420 है० गै० मु० रास्ता 0.0500 है० नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 जिलेसिंह
नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि में वादी रिशालसिंह व प्रतिवादी संख्या 1
लेसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 प्रेमसुख को वहिस्सा बरावर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये
ते है चूंकि प्रतिवादी सं० 3 ने वादभूमि में से अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता
के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय
जीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के
परांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा
अभ्यपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/8/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

गया।



(कल्पित शिचरान)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S
भादरा जिला हनुमानगढ़
भादरा जिला हनुमानगढ़

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

2025 - 221 / 2025
न्यायन :-

1. रिशालसिंह पुत्र श्री जिले सिंह जाति जाट साकिन झांसल तहसील भादरा।

:-वादी

बनाम


2. जिलेसिंह पुत्र मूलाराम जाति जाट साकिन झांसल तहसील भादरा।
3. प्रेमसुख पुत्र जिलेसिंह जाति जाट साकिन झांसल तहसील भादरा।
4. सविता पुत्री जिलेसिंह जाति जाट साकिन झांसल तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बेरवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 5 जेएसएल के खाता संख्या 267/250 के मु० नं० 11 के किला नं. 6/2, 15/1, 16/1, 17/1, 17/3, 23/1, 23/3, 24/1, 25 कुल किता 9 की 0.8710 है० बारानी, 0.0260 है० गै० मु० रास्ता, 0.0500 है नहरी, मु० नं० 12 के किला नं. 1/1, 1/3, 2/3, 2/4, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 9, 10/1, 11 ता 25 कुल किता 30 की 5.9320 है० बारानी, 0.0770 है० गै० मु० रास्ता, मु० नं० 13 के किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 8 ता 13, 18 ता 22 कुल किता 17 की 3.5030 है० बारानी, 0.0390 है० गै० मु० रास्ता, कुल खसरे 56 की 10.4980 है०, जिसमे 10.3060 है० बारानी, 0.1420 है० गै० मु० रास्ता 0.0500 है० नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 जिलेसिंह के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि में वादी रिशालसिंह व प्रतिवादी संख्या 1 जिलेसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 प्रेमसुख को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है चूंकि प्रतिवादी सं० 3 ने वादभूमि में से अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/8/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(कल्पित शिवरान R.A.S.)
उपखण्ड उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़